न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 881/2024

अनवान : –

1– धन्नाराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
2– शिशपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।

–– **वादीगण**

बनाम

1– चानणराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
2– मंगतुराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
3– रामचन्द्र पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
4– किरण पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
5– कुन्ता पत्नी दलवीरसिंह जाति जाट निवासी 18 जेएसएन जसाना तहसील नोहर।
6– रामेश्वरी पत्नी सन्तलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7– विदया पत्नी हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
8– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.1340 है0 भूमि व खाता संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 9.9400 है0 भूमि मुश्तरका खाता की भूमि में वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 प्रत्येक का 8/49 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/49 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के दादा हरदयाल पुत्र हजारी के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को विनास्तन प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया संख्या 5 ता 6 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने व वादी संख्या 2 की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 7 जो कि वादी संख्या 1 की माता व वादी संख्या 2 कीदादी है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा [illegible] जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने [illegible] के पक्ष में [illegible] कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना हक हि[illegible] अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 नाम उक्त खातें में अलग से भूमि दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा प्रतिवादीया संख्या 4 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है वाद हक त्याग रोही मौजा ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.1340 है0 भूमि व खाता संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 9.9400 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 प्रत्येक के नाम दर्ज 8/49 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज 1/49 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी ढाणी लालखां सम्वत 2073–76 खाता स0 134, 135 दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के दादा हरदयाल पुत्र हजारी के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को विनास्तन प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया संख्या 5 ता 7 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है प्रतिवादी संख्या 3 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना हक हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 नाम उक्त खाते में अलग से भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है वाद हक त्याग रोही मौजा ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.1340 है0 भूमि व खाता संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 9.9400 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 प्रत्येक के नाम दर्ज 8/49 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज 1/49 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.1340 है0 भूमि व खाता संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 9.9400 है0 भूमि मुश्तरका खाता की भूमि में वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 प्रत्येक का 8/49 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/49 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है जो की विरासतन पक्षकारान के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादीया संख्या 5 ता 7 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना हक हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 नाम उक्त खातें में अलग से भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.1340 है0 भूमि व खाता संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 9.9400 है0 भूमि दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का नाम कलमजन करवाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चारों को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 881/2024
अनवान : –

1– धन्नाराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
2– शिशपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।

—— **वादीगण**

बनाम

1– चानणराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
2– मंगतुराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
3– रामचन्द्र पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
4– किरण पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
5– कुन्ता पत्नी दलवीरसिंह जाति जाट निवासी 18 जेएसएन जसाना तहसील नोहर।
6– रामेश्वरी पत्नी सन्तलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7– विदया पत्नी हरदयाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर।
8– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 881 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढ़ाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 134/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.1340 है0 भूमि व खाता संख्या 135/134 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 9.9400 है0 भूमि दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का नाम कलमजन करवाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 चारों को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर